निजी अस्पतालों को योजना से संबद्ध होने की प्रक्रिया

- पूर्व में योजना से सम्बद्व अस्पताल जो आर.एफ.पी. दिये गये प्रावधानों को पूर्ण करते हैं वो योजना के अन्तर्गत 13 दिसम्बर, 2017 से सम्बद्व माने जायेगें।
- सभी अस्पतालों को योजना से संबद्ध होने के लिए वेबसाईट www.health.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
- आवेदन करने के दस दिवस में बीमा कंपनी द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया जायेगा।
- निरीक्षण के पश्चात सात दिवस के अन्दर – अन्दर प्रार्थना पत्र स्वीकार/अस्वीकार किया जायेगा।
- निरीक्षण सही पाये जाने पर 6 दिवस के अन्दर – अन्दर बीमा कंपनी द्वारा अस्पताल से अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेगें।
- इसके पश्चात 7 दिवस के अन्दर – अन्दर अस्पताल को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा एवं प्रशिक्षण के दौरान ही यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किये जाना आवश्यक है।
- इस प्रकार से अस्पताल के ऑनलाईन प्रार्थना पत्र पूर्ण करने के पश्चात बीमा कंपनी को 30 दिवस की अवधि में अस्पताल को यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिया जाना आवश्यक है